कार्यालय कलेक्टर, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

–संक्षिप्त निविदा सूचना–

क्रमांक / ९७। / एन पी आर / 2016 दिनांक 10 / 06 / 2016

भारत की जनगणना 2011 के अवसर पर प्रगणकों द्वारा प्रत्येक परिवार के बारे में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर प्रपत्र में जानकारी संकलित की गई थी उक्त जानकारी में वर्ष 2015 में आवश्यक सुधार / संशोधन किया गया है और तद्समय छूटे हुए कुछ परिवारों के बारे में नए सिरे से जानकारी संकलित की गई है। उक्त जानकारी हार्ड कॉपी में उपलब्ध है जिसे ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा / सुधार / संशोधन / एण्ट्री किया जाना है। एतद् द्वारा उक्त कार्य करने के लिए दर निर्धारण हेतु कार्य करने के इच्छुक फर्मो से दिनांक 27 जून 2016 को अपरान्ह 03.00 बजे तक बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तो का अवलोकन हेतु निविदा प्रपत्र मयशर्ते 200 रू. शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में दिनांक 10.06.2016 से प्राप्त किया जा सकता है।

R. Shukla

कलेक्टर

जिला–बेमेतरा

पृ. क्रमांक / ९७। / एन पी आर / 2016 दिनांक 10 / 06 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) 492002 को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छ.ग. गोविंद सारंग भवन, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन शाखा) छ.ग. शासन ए भूतल इन्द्रावती भवन, कैपीटल कॉम्प्लेक्स नया रायपुर (छ.ग.) को उक्त विज्ञापन प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचारों पत्रों में प्रकाशन बाबत्।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कार्यालय बेमेतरा को उक्त विज्ञापन जिले के वेबसाईट में डालने हेतु।
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क बेमेतरा को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. तहसीलदार, सर्व जिला बेमेतरा को प्रकाशनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
7. जिला नाजीर जिला कार्यालय बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R. Shukla

कलेक्टर

जिला–बेमेतरा

कार्यालय कलेक्टर, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

–निविदा प्रपत्र–

क्रमांक / 871 / 2016 /
दिनांक 10 / 06 / 2016

भारत की जनगणना 2011 के अवसर पर प्रगणकों द्वारा प्रत्येक परिवार के बारे में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर प्रपत्र में जानकारी संकलित की गई थी उक्त जानकारी में वर्ष 2015 में आवश्यक सुधार/संशोधन किया गया है और तद्समय छूटे हुए कुछ परिवारों के बारे में नए सिरे से जानकारी संकलित की गई है। उक्त जानकारी हार्ड कॉपी में उपलब्ध है जिसे ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा/सुधार/संशोधन/एण्ट्री किया जाना है।

एतद् द्वारा उक्त कार्य करने के लिए दर निर्धारण हेतु कार्य करने के इच्छुक फर्मो से दिनांक 27 जून 2016 को अपरान्ह 03.00 बजे तक बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 10 जून 2016 से 27 जून 2016 पूर्वान्ह 12.00 बजे तक निविदा प्रपत्र मूल्य 200 रू. नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व यदि निविदाकार कार्य का स्वरूप आदि को जानना चाहते हों तो कलेक्टर कार्यालय के जनगणना शाखा में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।
3. कलेक्टर, कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन पाए जाने अथवा निविदाकार द्वारा अंकित किए दर में काट छांट पाए जाने पर निविदा अमान्य किया जावेगा।
5. निविदाकार की ओर से कोई भी शर्त मान्य नही होगा।
6. ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में डाटा सुधार/संशोधन/एण्ट्री का कार्य जिला जिले के सभी पाच तहसील मुख्यालयों में अथवा कलेक्टर द्वारा निर्देशित स्थान पर संपादित कराना होगा।
7. अपेक्षित कार्यों में गांव/नगर से बाहर प्रवास कर चुके व्यक्ति/परिवार से संबंधित डाटा ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से डिलिट किया जाना है और नए पाए गए परिवारों को विवरण एन्ट्री किया जाना है। इसी तरह किसी परिवार के लिए पूर्व में दर्ज जानकारी में कोई त्रुटि पाई गई हो तो संबंधित कॉलम में सुधार कार्य किया जावेगा।
8. कंडिका 8 में उल्लेखित अलग–अलग कार्यों के लिए अलग–अलग फर्मो द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम पाए जाने पर उक्त सभी कार्यों के प्रति ईकाई (परिवार) लागत के कुल मूल्य के आधार पर क्रय समिति द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु निर्णय ले सकेगा।
9. निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी भाग तथा दूसरा भाग व्यावसायिक भाग है।
10. वेन्डर द्वारा दोनों भागों को भरकर सील बंद कर अपना नाम व पता का उल्लेख करते हुए कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार जिला–बेमेतरा का पता अंकित कर जमा किया जावेगा।
11. तकनीकी भाग के साथ फर्म का पंजीयन/टीन नम्बर/पेन नम्बर का प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) तथा अमानत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट संलग्न किया जावे।
12. निविदा के दोनों भाग तथा संलग्न किए गए प्रत्येक दस्तावेज पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
13. निविदा के साथ कुल 20,000 रू. का अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर बेमेतरा के नाम बेमेतरा बैंक शाखा में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
14. फर्मो से प्राप्त निविदा प्रपत्र 27 जून 2016 को अपरान्ह 04.00 बजे कलेक्टर कार्यालय बेमेतरा में खोला जायेगा। इस अवसर पर संबंधित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

15. प्रतिनिधि द्वारा निविदा भरने अथवा निविदा खोलते समय उपस्थित रहने के लिए विधि अनुसार अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर कोई फर्म अपने दर की स्वीकृति के लिए दावा नही कर सकता। दर चयन हेतु क्रय समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
17. निविदा में प्राप्त दर पर क्रय समिति की सहमति न होने की दशा में निगोशिएशन किया जा सकेगा।
18. निविदा स्वीकार होने की स्थिति मे संबधित फर्म को कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 80 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
19. डाटा एन्ट्री के लिए भरे हुए प्रपत्र की हार्ड कॉपी किसी भी स्थिति में कार्यालय परिसर अथवा निर्देशित कार्य स्थल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
20. डाटा एन्ट्री के लिए आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था वेण्डर द्वारा स्वयं किया जावेगा।
21. डाटा एण्ट्री का कार्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न किया जाएगा।
22. कार्य की मात्रा एवं समयावधि को देखते हुए स्वीकृत दर पर एक से अधिक वेन्डरों से कार्य करवाया जा सकेगा।
23. बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने तथा निविदा अस्वीकृत कर पुनः आमंत्रित करने का अधिकार कलेक्टर बेमेतरा का होगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, बेमेतरा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
25. कार्य पूर्णता उपरांत किये गये कार्य के गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा। यदि कार्य की गुणवत्ता में कमी पायी जाती है अथवा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो भुगतान नहीं किया जायेगा और अमानत राशि जप्त करने, फर्म को काली सूची में दर्ज करने जैसे कार्यवाही की जा सकेगी।
26. कलेक्टर, जिला–बेमेतरा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता अनुसार उक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी लागू किया जा सकेगा जिसे मानने के लिए वेण्डर बाध्य होगा।

R. S... 1/5

कलेक्टर

जिला–बेमेतरा